

श्रीमान  
 भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2071-74 गौड़ फू धन्ना जा. बेरवा खा. नं. 303, 38, 39, 91, 94 में दर्ज है <sup>जो कि जमाबंदी के अन्तर्गत है</sup> ~~प्राथमिक~~ आधार का, वेटर अर्बि-डी, वाशन काई एवं कार्यालय ग्राम पंचायत, गाविस: प्राण फा में नाश गोरधत फू धन्ना दर्ज है जो सही बताया गया संलग्न दस्तावेज अनुसार शत: गोरधत एवं गौड़ एक ही व्यक्ति बताया गया अलग-अलग वही गौड़ से गोरधत करवा उचित होगा

श्रीमान,  
 भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट  
 पूर्णतः सच के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं रिपोर्ट (पकरी) एवं भू अभिलेख उधरवा-धर कटुलाट गौड़ व गोरधत एक ही व्यक्ति हैं तथा गांव में होने नाशो है जाना जाता है अतः रिपोर्ट में दफा गौड़ को गोरधत किया जाना सही है

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 रिपोर्ट प. हल्का एवं भू. अ. निरीक्षक की जांच के आधार पर दुरुस्ती की आमेदारी की जाती है

2025  
 609

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

शिविर प्रभारी  
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

क्रमांक / 243

दिनांक - 11/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मकदिया तहसील नसीराबाद की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या 303, 38, 39, 91, 94 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	
1	गौड़ फू धन्ना जालि: बेरवा शेख कसूर	उपरोक्त खा. ल. मे वर्षित अनुसार		1) गोरधत फू धन्ना जालि: बेरवा शेख कसूर	उपरोक्त वर्षित खा. ल. के अनुसार	



क्रमांक :- 0205-06

प्रतिभा - ① TDR, NSO की पालबार्थ  
 ② आदेश पक्षावली

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर

दिनांक - 11/10/25